न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(SDO)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी –श्री समदर सिंह भाटी, R.A.S

राजस्व अपील संख्या 01/2022

अपीलाण्टस	बनाम	उतरदातागण
1. गेरो उर्फ केहरी पुत्री रामाराम पत्नी राणाराम जाति जाट निवासी सड़ा धनजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।		1. सूकी पुत्री रामाराम पत्नी देराजराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी मण्डावला (कादानाडी) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।
2. नोजी पुत्री रामाराम पत्नी भानाराम जाति जाट निवासी सोबडावास तहसील बागोड़ा जिला जालौर।		2. तुलसीदेवी पत्नी स्वर्गीय श्री वालाराम जाति जाट निवासी प्रभू नगर (सड़ा धनजी) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर। **(विलोपित)**
3. हड़मानराम पुत्र रामाराम उम्र 17 वर्ष नाबालिग जाति जाट जरिये कुदरती वली पिता रामाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी टुकिया तहसील सिणधरी जिला बाडमेर।		3. देवाराम पुत्र वालाराम जाति जाट निवासी प्रभू नगर (राडा धनजी) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।
4. पेपो पुत्री रामाराम उम्र 11 वर्ष नाबालिग जाति जाट जरिये कुदरती वली पिता रामाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी दुकिया तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर।		4. ग्राम पंचायत सड़ा धनजी पंचायत समिति पायला कला तहसील सिणधरी
		5. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरणकरण सं. 47 दिनांक 16.08.2021 जो ग्राम पंचायत सड़ा धनजी द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थित :– श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता अपीलांटस की और से

श्री बलवंतसिंह चोधरी अधिवकता रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 की ओर से

रेस्पोडेट सं. 4 स्वयं एवं 5 के पेरोकार सरकार उपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:38 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक : 27.11.2025

संक्षेप में यह अपील सरहद मौजे अभुनगर, तहसील सिणधरी के नामान्तरणकरण सं. 47 दिनांक 16.08.2021 पर पारीत सरपंच ग्राम पंचायत सड़ा धनजी के आदेश दिनांक 20.08.2021 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है। अपील के सलंग्न अपीलाधीन आदेश की जानकारी विलम्ब से होना अपील के प्रस्तुतीकरण

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

में हुये विलम्ब की वजह बताते हुए धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम प्रभूनगर तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 613/2 एवं 613/4 कुल रकबा 15.1688 हैक्टयर के खातेदार मुतवफी वालाराम पुत्र ताजाराम हिंदु विधि से शासित होते थे और उनके वक्त मृत्यु वारिस पत्नी तुलसी, पुत्र देवाराम, लाऔलाद फौत पुत्री तगू तथा अपीलांट की माता अणदू–थे। किंतु हल्का पटवारी ने वालाराम के समस्त वारिसान के बजाय केवल– रेस्पोडेंट सं. 2 तुलसी एवं रेस्पोडेंट सं. 3– के नाम ना.क. दायर किया, सरपंच ग्राम पंचायत सड़ा धनजी ने बगैर वालाराम के वारिसान की विधिसम्मत जांच किये बिना किये और बिना उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर दिये, जरिये अपीलाधीन आदेश, उक्त नामान्तकरण यथाप्रस्तावित पारित कर दिया। जिसमें बावजूद हक के रेस्पोडेंट सं. 1 एवं अपीलांटस खातेदारी से महरूम हो गये। अतः अपीलांटस ने ग्राम प्रभूनगर तहसील सिणधरी के ना.क.स. 47 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत सड़ा धनजी के आदेश दिनांक 20.08.2021 को निरस्त करवाते हुए वालाराम के समस्त वैध वारिसान– अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट सं. 1 से 3 के नाम नामान्तकरण पारित करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की।

अपील अपीलांटस म्याद बिन्दु सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील रेस्पोडेंटस द्वारा अपील को म्याद बाहर बताते हुए खारिज करने हेतु निवेदन किया। न्यायालय द्वारा म्याद के बिन्दु का विवेचन करने के बाद अपील को अन्दर म्याद सुमार करते हुए गुणावगुण के आधार पर अपील का विचारण करने का निर्णय लिया गया। पुनः रेस्पोडेंट्स सं. 2 के फौत होने पर उनके वारिस पूर्वतः रिकार्ड पर होने से उनकी प्रविष्टि शीर्षक से विलोपित की गई। रेस्पोडेंट सं. 4 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्होनें बाद जांच रेस्पोडेंट्स सं. 2 व 3 ही वालाराम के वैध वारिस होना पाये जाने तथा उन्हीं का लगातार अपीलाधीन भूमि पर कब्जा काश्त होने से उनके नाम ना.क. पारित किया। अतः अपील सारहीन एवं म्याद बाहर होने से खारिज की जावे।

वकील सेस्पोडेंट सं. 2 व 3 ने इस आपत्ति का जवाब प्रस्तुत किया कि भूमि मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सड़ा में रहन होने के बावजूद बैंक को पक्षकार नहीं बनाये जाने से काबिल खारिज है। अपीलांटस ने स्वयं को वालाराम की वारिस बताते हुए अपने नाम से ना.क. पारित करवाने की अपील में इस्तदुआ चाही है, किंतु स्वयं को सक्षम सिविल न्यायालय में वालाराम की वारिस नहीं घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

करवाया है। वारिस घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में नहीं होकर सिविल न्यायालय में निहित होता है। ना.क. की प्रक्रिया समरी प्रोसीडिंग होने से लगान निर्धारण की वित्तीय व्यवस्था होती है, जिसके जरिये वारिसाना हकों का निर्धारण नहीं होता है। इस प्रकार प्रस्तुत अपील पक्षकारान के असंयोजन तथा क्षेत्राधिकार विहीन होने के आधार पर काबिल खारिज होने से मय खर्चा खारिज की जावे।

हमनें दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील अपीलांटस की बहस है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत किसी मृत निर्वसीयत की मृत्यु पर उसके वारिसाना हक उसी विधि से अन्तरित होगें जिसके कि वह वक्त मृत्यु अध्यधीन था। चूंकि वालाराम वक्त मृत्यु हिंदु विधि से शासित होता था और हिंदु उतराधिकार अधिनियम के प्रावद्यानानुसार अपीलांटस एवं रेसपोडेंट्स सं. 1 से 3 उसकी पत्नि, पुत्र, पुत्रिया एवं मृत पुत्री के वारिस होने से अपीलाधीन भूमि में हक रखते है और किसी को भी उनके वारिसाना हकों से महरूम नहीं किया जा सकता। किंतु सरपंच ग्राम पंचायत सड़ा धनजी ने कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुए वालाराम के समस्त वैध वारिसान के नाम ना.क. पारित करने के बजाय केवल रेस्पोडेट्स सं. 2 व 3 के नाम पारित किया। चूंकि रेस्पोडेंट सं. 2 फौत हो चुकी है, जिनके वारिस पूर्वतः रिकार्ड पर है। अतः अपीलांटस ग्राम प्रभूनगर के ना.क. 47 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत सड़ा धनजी के आदेश दिनांक 20.08.21 निरस्त करवाते हुए वालाराम के समस्त वारिसान– अपीलांटस एवं रेस्पोंडेंट सं. 1 व 2 के नाम अपीलाधीन भूमि का ना.क. पारित करवने के अधिकारी है।

इसके विपरीत वकील रेस्पोडेंटस सं. 3 ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वारिसाना हकों का निर्धारण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है और ना.क. प्रक्रिया के जरिये राजस्व न्यायालय विधिक रूप से सक्षम नहीं है। ना.क. प्रक्रिया अधिकारों का निर्धारण नही कर लगान के दायित्वों का निर्धारण करती है। चूंकि अपीलांट्स ने अपील के प्रस्तुतीकरण से पूर्व स्वयं को मुतवफी वालाराम का वारिस घोषित नहीं करवाया है और बगैर वारिस घोषित करवाये के अपीलाधीन भूमि में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही कर सकते। अतः अपील अपीलांट्स की मूल विषयवस्तु क्षेत्राधिकार विहीन होने से एवं भूमि बैंक में रहन होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाये जाने से पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर काबिल खारिज है। अतः अपील खारिज की जावे। वकील रेस्पोडेंट्स सं. 2 ने अपनी दलील के समर्थन में DNJ(Rev)2023(1) Page

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

515, DNJ(Rev)2023 Page 105, RRT2002 (1) Page 77] DNJ2021(2) Page 964, RRT2007(1) Page 723 & RRD 2020 Page 275 के उद्धरण प्रस्तुत किये।

हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। किसी भी दावे की विचारधीयता का क्षेत्राधिकार उसके "पिथ" एवं "सिक्वेंस" पर आधारित होता है। प्रस्तुत अपील में मूल विषय मृत वालाराम के वारिसान का निर्धारण करना है। जहां तक किसी नामान्तकरण में हुई विधिक त्रुटि का प्रश्न है, इसकी विचारणीयता राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार की होती है। किंतु अपील का मूल कथ्य मृत वालाराम के वैध वारिसान का निर्धारण कर उनके नाम से नामान्तरकरण पारित करने से सम्बद्व है। वारिसान के निर्धारण का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों में निहित नहीं होकर, सिविल न्यायालय में निहित होता है। जैसा कि वकील रेस्पोडेट्स सं. 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों से स्पष्ट है। वकील अपीलांट का यह कथन सही है कि धारा 40 RTAct के तहत मृत निर्वसीयती के वारिसाना हक उसी विधि से अन्तरित होगें, जिस विधि के वह वक्त मृत्यु अध्यधीन था। चूंकि वालाराम वक्त मृत्यु हिंदु विधि से शासित होता था, अतः उसके वारिसाना हकों का अन्तरण हिंदु विधि के अनुसार होगा। किंतु अपीलांटस ने स्वयं को सक्षम सिविल न्यायालय से वालाराम का वारिस घोषित नहीं करवाया है। नामान्तरकरण प्रक्रिया एक समरी कार्रवाई है, जिसके जरिये लगान की अदायगी का दायित्व तय होता है न कि वारिसाना हकों का निर्धारण। रेस्पोडेंट्स सं. 3 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण के तथ्यों पर पूर्णतः चस्पा होते है। अपीलांट यदि स्वयं को वालाराम के वारिस मानते है, तो सक्षम सिविल न्यायालय से स्वयं को वाद के जरिये वालाराम के वारिस घोषित करवाये। बतौर स्वयं को वालाराम के वारिस घोषित करवाये अपीलांट्स की यह अपील इस न्यायालय की विचारणीयता के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है।

लिहाजा अपील अपीलांट्स क्षेत्राधिकार हीनता के आधार पर खारिज की जाती है। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:12:38 IST
Reason: SelfAttested

(समदर सिंह भाटी)RAS
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 27.11.2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी